छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा दशम् सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 तक (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया तथा प्रश्न की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आधे घंटे की चर्चा कराये जाने हेतु सहमति व्यक्त की ।

उपाध्यक्ष महोदय ने आधे घंटे की चर्चा हेतु स्वीकृति दी ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या -04 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

पटल पर रखे ।

4. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग में अव्यवस्था संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सभापति महोदय ने कथन किया कि आपके स्थगन प्रस्ताव की सूचना अग्राह्य कर दी गई है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए ।)

(निरंतर नारेबाजी होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.25 बजे स्थगित की जाकर 12.35 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल,, सदस्य ने जिला-गरियाबंद, विकासखण्ड देवभोग अंतर्गत ग्राम सुपेबेड़ा में जल आवर्धन योजना शुरू नहीं होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने चिरमिरी के हल्दी बाड़ी, महुवा दफाई इलाके में एसईसीएल खदान की जमीन में निवासरत गरीब परिवारों को सुरक्षित व्यवस्थापन नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री नारायण चंदेल
(3) श्री कुलदीप जुनेजा
(4) श्री आशीष छाबड़ा
(5) श्री धरमलाल कौशिक

9. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापान प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञपान प्रस्ताव के संबंध में श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती इन्दू बंजारे ।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

श्री बृजमोहन अगवाल, सदस्य ने आसंदी का ध्यानाकर्षित किया कि अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा एक ही मंत्री उपस्थित हैं।

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने इस संबंध में विचार व्यक्त किये ।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

सभापति महोदय ने कथन किया कि वर्तमान में कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस संबंध में सदन को सूचना भी दी गई है। मंत्री जी सारी बातों को नोट कर रहे हैं और सामूहिक जिम्मेदारी के तहत वे उसका निराकरण करेंगे। अधिकारी उपस्थित हैं। सामान्य तौर पर अधिकारी दीर्घा की चर्चा नहीं होती है। मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही के संचालन में सभी लोग सहयोग करेंगे ।

माननीय मंत्री जी कृपया, सुनिश्चित करेंगे कि बजट की चर्चा के समय अधिकारी उपस्थित रहें।

10. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अनुपस्थिति के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

11.माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापान प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमश:)

श्री मोहन मरकाम,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि जिन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनका भाषण पहले होना चाहिये ।

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, संतराम नेताम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान स्वयं के लिये जातिसूचक शब्द का उल्लेख किये जाने एवं प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा आपत्ति लिये जाने पर उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी ।

12.व्यवस्था

उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि कोई भी सदस्य किसी भी जाति का हो, प्रत्येक का सम्मान है। किसी जाति विशेष होने के आधार पर पृथक से कोई विशेष अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इस मामले में किसी सदस्य के प्रति अपमानजनक तरीके से उल्लेख नहीं किया गया है । तथापि मैं जातिसूचक शब्द को विलोपित करता हूं । सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि शालीन तरीके से बात करें।

13.माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापान प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमश:)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री देवव्रत सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सदन के समय में शाम 7.00 बजे तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री पुन्नू लाल मोहले, रामकुमार यादव, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, श्री प्रमोद कुमार शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सायं 7.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा